R.C.T. No.-4220 / 2023
State Of M.P. vs Manoharlal Vyas

न्यायालयः–रूपल गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला ग्वालियर (म.प्र)
निर्णय की तारीख : 21.07.2025

Registration No-RCT/4220/2023

Filing No-RCT/16555/2023

C.N.R. No- MP0701-20484-2023

Date of Filing -03-08-2023

आरक्षी केन्द्र महाराजपुरा, जिला–ग्वालियर के अपराध कमांक–483/2023 अपराध अंतर्गत धारा–294, 323, 506 भा0दं0सं0 से उद्भूत दांडिक प्रकरण।

परिवादी/अभियोगी		मध्य प्रदेश राज्य द्वारा थाना प्रभारी आरक्षी केन्द्र महाराजपुरा, जिला ग्वालियर म.प्र.
प्रतिनिधित्व द्वारा		सुश्री चेतना तिवारी (ए.डी.पी.ओ.)।
अभियुक्त		मनोहरलाल व्यास पुत्र श्री अच्छूराम व्यास पता–बी.एच.164 सेक्टर डी.डी. नगर ग्वालियर म0प्र0
प्रतिनिधित्व द्वारा		अधिवक्ता श्री अनिल शर्मा।

अपराध की तारीख	14.06.2023
प्र.सू.रि. की तारीख	14.06.2023
आरोप–पत्र की तारीख	03.08.2023
आरोपों के विरचना की तारीख	05.09.2023

21/07/25
(रूपल गुप्ता)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जिला–ग्वालियर (म.प्र.)

साक्ष्य प्रारंभ किये जाने की तारीख	17.04.2025
निर्णय सुरक्षित किए जाने की तारीख	निरंक
निर्णय की तारीख	21.07.2025
दंडादेश, यदि कोई हो, की तारीख	कुछ नहीं।

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तारीख	जमानत पर रिहा किये जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दोषसिद्धी	अधिरोपित दंडादेश	धारा 428 दं.प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गयी निरोध की अवधि
01.	मनोहरलाल व्यास पुत्र श्री अच्छूराम व्यास	09.07.2023	09.07.2023	294, 323, 506 भाग 02 भा0दं0सं0	दोषमुक्त	कुछ नहीं।	निरंक

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन साक्षियों की सूचीः–

क. अभियोजनः–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)

21/07/25
(रूपल गुप्ता)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जिला–ग्वालियर (म.प्र.)

अ.सा. 1	श्रीमती रूपम सक्सैना	फरियादी साक्षी
अ.सा. 2	नीलम सक्सैना	अन्य साक्षी
अ.सा. 3	नरेश यादव	पुलिस साक्षी

ख. प्रतिरक्षा साक्षी, यदि कोई हो तोः–

श्रेणी	**नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)**
निरंक	निरंक	निरंक

ग. न्यायालयीन साक्षी, यदि कोई हो तोः–

श्रेणी	**नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)**
निरंक	निरंक	निरंक

अभियोजन / प्रतिरक्षा / न्यायालयीन प्रदर्शों की सूचीः–

क. अभियोजनः–

सं.क.	**प्रदर्श संख्या**	**विवरण**
1	प्रदर्श पी–1 / अ.सा. 1	प्रथम सूचना रिपोर्ट
2	प्रदर्श पी–2 / अ.सा. 1, अ.सा.2	घटनास्थल का नक्शामौका

21/07/25
(रूपल गुप्ता)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जिला–ग्वालियर (म.प्र.)

ख. प्रतिरक्षा प्रदर्श, यदि कोई हो तोः–

सं.क.	**प्रदर्श संख्या**	**विवरण**
निरंक	निरंक	निरंक

ग. न्यायालयीन प्रदर्श, यदि कोई हो तोः–

सं.क.	**प्रदर्श संख्या**	**विवरण**
निरंक	निरंक	निरंक

घ. आवश्यक वस्तुएंः–

सं.क.	**भौतिक सामग्री संख्या**	**विवरण**
निरंक	निरंक	निरंक

//निर्णय//

(आज दिनांक 21.07.2025 को खुले न्यायालय में घोषित)

01. अभियुक्त मनोहरलाल व्यास पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा–294, 323, 506 भाग–02 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध है कि उसने दिनांक 14.06.2023 को सुबह करीबन 10:30 बजे बी.एच. 164 सेक्टर बी, डी. डी. नगर महाराजपुरा में फरियादी रूपम सक्सैना को लोक स्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित करने आहत रूपम सक्सैना की मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित करने एवं फरियादी रूपम सक्सैना को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने संबंधी अभियोग है।

02. अभियोजन पक्ष संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी रूपम सक्सैना ने थाना उपस्थित आकर इस आशय की जुवानी रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 14.06.23 को समय करीबन सुबह 10.30 बजे की बात होगी वह

21/07/25

(कपिल गुप्ता)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जिला-ग्वालियर (म.प्र.)

प्रथम श्रेणी
सत्यमेव जयते
लियर (म.प्र.)

अपने मकान बी एच 164 सेक्टर बी डीडी नगर मे आई थी वर्ष 2015 में उसने अपने मकान का नीचे का पोर्सन किराये से मनोहर लाल व्यास को दिया था जिसका किराया व्यास के द्वारा दो वर्ष से नहीं दिया गया था आज वह अपने मकान का किराया मांगने के लिये गई थी और उसने मनोहर लाल व्यास से मकान के किराये का बोला तो मनोहर लाल व्यास उसे मां बहन की गंदी गंदी गालियां देने लगा उसने गालियां देने से मना किया तभी मनोहर लाल व्यास ने उसे धक्का दिया जिससे वह गिर गई गिरने से उसे बांये हाथ एवं कमर मे मूंदी चोट आई तभी उसकी बहन नीलम सक्सेना आ गई जिन्होंने बीच बचाव किया एवं घटना देखी है तभी मनोहर लाल व्यास मुझसे कहने लगा अगर दोबारा उसने किराया मांगा तो उसे जान से खत्म कर देगा।

03. उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी रूपम सक्सैना ने आरक्षी केंद्र महाराजपुरा में लेखबद्ध कराई, जो अपराध क्रं. 483/2023 अंतर्गत धारा 294, 323, 506 भा0दं0सं0 पर पंजीबद्ध की गई। पुलिस द्वारा घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया। साक्षीगण के कथन लिए गए। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। संपूर्ण अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

04. प्रकरण में अभियुक्त को धारा 294, 323, 506 भाग–02 भा.द.स. के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर अभियुक्त द्वारा उक्त अपराध करना अस्वीकार करते हुए विचारण की मांग की गई, तत्पश्चात अभियोजन साक्ष्य अंकित की गई तथा अभियुक्त का धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत परीक्षण किए जाने पर अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोष होना एवं प्रकरण में झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया गया तथा बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई।

05. प्रकरण के निराकरण के लिए निम्न विचारणीय प्रश्न यह है कि–

01– क्या अभियुक्त ने दिनांक 14.06.2023 को सुबह करीबन 10:30 बजे बी.एच. 164 सेक्टर बी, डी.डी. नगर महाराजपुरा में फरियादी रूपम सक्सैना को लोक स्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?

21/07/25

(रूपल गुप्ता)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जिला–ग्वालियर (म.प्र.)

02— क्या उक्त दिनांक समय व स्थान पर उक्त अभियुक्त ने आहत रूपम सक्सैना की मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की ?

03— क्या उक्त दिनांक समय व स्थान पर उक्त अभियुक्त ने फरियादी रूपम सक्सैना को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

04— दोषसिद्धी या दण्डादेश, यदि कोई हो तो ?

<u>साक्ष्य का विश्लेषण एवं निष्कर्ष :—</u>

<u>विचारणीय प्रश्न कमांक 01 :—</u>

06. फरियादी रूपम सक्सैना (अ.सा.01) द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि अभियुक्त ने उसे मां बहन की गंदी—गंदी गालियां दी थी। नीलम सक्सैना (अ.सा.02) ने भी यह व्यक्त किया है कि अभियुक्त उसकी बहन को गालियां दे रहा था। अभियोजन साक्षियों द्वारा इस संबंध में कोई कथन नहीं किये गये हैं कि अभियुक्त द्वारा कौन से अश्लील शब्द उच्चारित किये जा रहे थे।

07. भा.द.वि की धारा 294 में जो अश्लीलता की परिसंकल्पना की गयी है, उसका अभिप्राय ऐसे शब्दों से है जो शब्द सुनने वाले व्यक्ति के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डाले, उसे दूषित अवनति की ओर ले जाये, उसमें कामुकता, यौन मनोवेग को पैदा करे। साक्षी ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में इस संबंध में कोई कथन किया है कि अभियुक्तगण द्वारा कौन से अश्लील शब्द उच्चारित किये गये व अभियुक्तगण द्वारा उच्चारित गालियां सुनने से उस पर किस प्रकार प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। परिणामस्वरूप अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर निर्मित विचारणीय प्रश्न कमांक 01 **<u>अप्रमाणित</u>** है।

विचारणीय प्रश्न कमांक 02 :—

08. अभियोजन साक्षी रूपम सक्सैना (अ.सा.—1) द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में व्यक्त किया गया है कि वह अभियुक्त मनोहर व्यास को जानती है। अभियुक्त उसके मकान में किरायेदार है इसलिए वह उसे जानती है। घटना दिनांक 14 जून 2023 की सुबह 10 बजे की बीएच 164 दीनदयाल नगर उसके मकान की है। घटना दिनांक को वह अपने मकान बीएच 164 डीडी नगर में अपने उपर वाले पोर्सन में जा रही थी उसी मकान के नीचे वाले

21/07/25
(रूपल गुप्ता)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जिला—ग्वालियर (म.प्र.)

प्रथम श्रेणी सत्यमेव जयते लियर (म.प्र.)

पोर्सन में अभियुक्त किराये से रहता है तो अभियुक्त ने उसे मेनगेट से नहीं अपने मकान में नहीं घुसने दिया। अभियुक्त ने उसे जोर से धक्का दिया, जिससे उसे बायें हाथ में खरोंच व शरीर में अंदरूनी चोट आई थी। वह डर गई थी फिर उसने अपनी बहन नीलम सक्सेना को बुलाया। नीलम आ गई थी फिर कहा कि मैंने अपने बेटे सचिन को घटना के बाद बुलाया था। नीलम तो उसके साथ उसके मकान पर गई थी उसी के सामने घटना हुई थी। वह अपने मकान में लोहे के गाटर लेकर मजदूर के साथ गई थी। अभियुक्त ने उसे हाथ से धक्का दिया था और उसके मकान का किराया भी नहीं दिया। अभियुक्त उसके मकान में ही उसे घुसने नहीं दे रहा है। घटना की रिपोर्ट उसने आरक्षी केन्द्र महाराजपुरा में लिखाई थी रिपोर्ट प्र.पी. 1 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस घटना के अगले दिन घटनास्थल पर आई थी। पुलिस ने उसके समक्ष घटनास्थल का नक्शामौका प्र.पी. 2 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसे हस्ताक्षर हैं।

09. अभियोजन साक्षी नीलम सक्सैना (अ.सा.–2) द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में व्यक्त किया गया है कि फरियादी रूपम सक्सेना उसकी बहन है। वह अभियुक्त मनोहर व्यास को जानती है। अभियुक्त उसकी बहन के मकान में किराये से रहता है। घटना दिनांक 14 जून 2023 को समय सुबह की है। घ टना दिनांक को उसकी बहन रूपम अपने मकान बी सेक्टर 164 डीडीनगर में सामान लेकर जा रही थी। उसकी बहन के मकान पर पहुंचने के बाद वह भी मकान पर पहुंच गई थी तो उसने देखा कि अभियुक्त मनोहर व्यास ने उसकी बहन रूपम को धक्का दिया था जिससे वह गिर गई थी जिससे उसे अंदरूनी चोटें आई थी।

10. अभियोजन साक्षी नरेश सिंह यादव (अ.सा.–3) द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में व्यक्त किया गया है कि वह दिनांक 15.06.2023 को थाना महाराजपुरा में कार्यवाही प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे अपराध क0–483/23 धारा 294, 323, 506 भा.द.वि. की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी। विवेचना के दौरान उक्त दिनांक को वह घटनास्थल पर गया था और घटनास्थल का निरीक्षण कर फरियादी रूपम सक्सैना के समक्ष घटनास्थल का नक्शामौका प्र.पी.02 बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही फरियादी रूपम सक्सैना तथा दिनांक 18.06.2023 को साक्षीगण नीलम सक्सैना, चन्द्रा देवी के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे।

21/07/25

(रूपल गुप्ता)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जिला–ग्वालियर (म.प्र.)

11. अवलोकन से दर्शित होता है कि प्रकरण में अभियोजन साक्षी रूपम सक्सैना (अ.सा.01) द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में एक ओर यह व्यक्त किया गया है कि घटना दिनांक को वह अपने मकान में उपर वाले पोर्सन में जा रही थी तभी अभियुक्त ने मेन गेट से उसे अपने मकान में नहीं घुसने दिया और अभियुक्त ने उसे धक्का दिया जिससे उसके बांये हाथ में खरोंच व शरीर में अंदरूनी चोट आई थी। साक्षी द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि वह डर गई थी फिर अपनी बहन नीलम सक्सैना को बुलाया गया था जिसके बाद नीलम आ गई। दूसरी ओर साक्षी द्वारा अग्रेतर यह व्यक्त किया गया है कि उसकी बहन नीलम उसके साथ मकान पर गई थी और उसी के सामने घटना हुई थी। उक्त साक्षी के कथनों से यह दर्शित होता है कि जिस समय घटना घटित हुई उस समय नीलम (अ.सा.02) घटनास्थल पर उपस्थित नहीं थी।

12. इसी संबंध में अभियोजन साक्षी नीलम (अ.सा.02) द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि घटना दिनांक को उसकी बहन रूपम जब उसके मकान में सामान लेकर जा रही थी तो उसकी बहन के पहुंचने के बाद भी वह भी मकान पर पहुंच गई थी और उसने देखा कि अभियुक्त ने उसकी बहन को धक्का दिया था जिससे वह गिर गई थी। अभियोजन साक्षी रूपम सक्सैना (अ.सा.01) द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि वह अपने मकान में लोहे के गाटर लेकर मजदूर के साथ गई थी, परंतु अभियोजन द्वारा उक्त मजदूर को प्रकरण का साक्षी नहीं बनाया गया है। उक्त साक्षी द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया गया है कि घटना दिनांक को वह अपनी बहन नीलम सक्सैना के साथ घटनास्थल पर गई थी और इसके अलावा कोई अन्य व्यक्ति उसके साथ नहीं था। अभियोजन साक्षी नीलम (अ.सा.02) द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव को स्वीकार किया गया है कि घटनास्थल पर उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। उक्त साक्षियों के कथनों में परस्पर विरोधाभास होना दर्शित होता है।

13. अभियोजन साक्षी रूपम सक्सैना (अ.सा.01) द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि अभियुक्त ने उसे हाथ से धक्का दिया था जिससे उसे बांये हाथ में खरोंच व शरीर में अंदरूनी चोटें आई थी। अभियोजन साक्षी नीलम (अ.सा.02) द्वारा भी यह व्यक्त किया गया है कि अभियुक्त द्वारा उसकी बहन रूपम को धक्का दिया गया था जिससे वह गिर गई थी और उसे चोटें आईं थी। प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि प्रकरण में आहत द्वारा अपना चिकित्सीय परीक्षण नहीं कराया गया है। अभियोजन साक्षी नीलम (अ.सा.02) द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव को स्वीकार किया गया है कि

RS 21/07/25
(रूपल गुप्ता)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जिला-ग्वालियर (म.प्र.)

उसकी बहन रूपम का मेडीकल कराया गया था और वह रूपम के साथ ही थी एवं रूपम का मेडीकल जनकगंज में हुआ था। अवलोकन से दर्शित होता है कि प्रकरण में आहत का चिकित्सीय परीक्षण नहीं हुआ है एवं यदि किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट या अंदरूनी चोट आती है तो अवश्य ही व्यक्ति चिकित्सीय परीक्षण कराता है। परंतु प्रकरण में चिकित्सीय परीक्षण नहीं होना दर्शित होता है उसके विपरीत कथन साक्षी नीलम द्वारा किये गये हैं जिससे अभियोजन कथा संदेहास्पद दर्शित होती है। परिणामस्वरूप विचारणीय **प्रश्न कमांक 02 अप्रमाणित** है।

विचारणीय प्रश्न क0—03 :—

14. फरियादी रूपम सक्सैना (अ.सा.01) ने सूचक प्रश्न पूछने पर यह व्यक्त किया है कि अभियुक्त ने उससे कहा था कि किराया मांगने आई तो जान से खत्म कर दूंगा। अभियोजन साक्षी नीलम सक्सैना (अ.सा.02) ने भी उसकी बहन को जान से खत्म कर देने की धमकी देना व्यक्त किया है। परन्तु साक्षीगण ने इस संबंध में कोई अभिसाक्ष्य नहीं दी गई है कि अभियुक्त द्वारा जान से मारने की धमकी देने पर अभियोगी भयोप्रत हो गया था तथा उनके द्वारा इस संबंध में भी कोई अभिसाक्ष्य नहीं दी है कि उक्त धमकी का अभियोगी के मानसिक पटल पर क्या प्रभाव पड़ा था, ऐसी स्थिति में साक्ष्य के अभाव में अभियोगी को संत्रास कारित होना प्रमाणित नहीं होता है। अतः साक्ष्य के अभाव में **यह भी प्रमाणित नहीं होता है कि घटना के समय अभियुक्त ने अभियोगी को संत्रास कारित करने या क्षति कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी दी थी।** परिणामस्वरूप विचारणीय **प्रश्न कमांक 03 अप्रमाणित** है।

विचारणीय प्रश्न कमांक 04 :—

15. उपरोक्त विवेचना के आधार पर अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में **असफल** रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 14.06.2023 को सुबह करीबन 10:30 बजे बी.एच. 164 सेक्टर बी, डी. डी. नगर महाराजपुरा में फरियादी रूपम सक्सैना को लोक स्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित करने आहत रूपम सक्सैना की मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित करने एवं फरियादी रूपम सक्सैना को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया था। अतः अभियुक्त **मनोहरलाल व्यास पुत्र श्री अच्छूराम व्यास पता—बी.एच.164 सेक्टर डी.डी. नगर ग्वालियर म0प्र0** को

21/07/25
(रूपल गुप्ता)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जिला—ग्वालियर (म.प्र.)

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, 323, 506 भाग–02 के अपराध के आरोप से **दोषमुक्त** किया जाता है।

16. प्रकरण में कोई जप्तशुदा संपत्ति नहीं है।

17. अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते है, किंतु धारा 437ए दंप्रसं के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया नवीन मुचलका आगामी 6 माह के लिए प्रभावशाली रहेंगा।

18. अभियुक्त की न्यायिक निरोध अवधि के संबंध में धारा 428 दं.प्र.सं. के तहत प्रमाण पत्र निर्मित किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनाकिंत कर घोषित किया गया।

21/07/25

(रूपल गुप्ता)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी
जिला ग्वालियर (म0प्र0)

(रूपल गुप्ता)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जिला–ग्वालियर (म.प्र.)

मेरे आलेख पर टंकित किया।

21/07/25

(रूपल गुप्ता)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी
जिला ग्वालियर (म0प्र0)

(रूपल गुप्ता)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जिला–ग्वालियर (म.प्र.)